भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2812

गुरुवार, 19 **दिसम्बर, 2024/28 अग्रहायण**, **1946 (शक)**

बेरोजगारी दर

2812 श्री राघव चड्ढा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न राज्यों में वर्तमान बेरोजगारी दर का ग्रामीण-वार और शहर-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) राष्ट्रीय बेरोजगारी दर को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और क्या कतिपय क्षेत्रों में बेरोजगारी की उच्च दर से निपटने के लिए कोई राज्य-विशिष्ट कार्यक्रम हैं;
(ग) सरकार श्रम बाजार में युवाओं और हाल ही में स्नातक हुए लोगों के असंगत प्रभाव को देखते हुए, बेरोजगारी से निपटने के लिए किस प्रकार से योजना बना रही है;
(घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष में रोजगार सृजन संबंधी योजनाओं के लिए कितना बजटीय आबंटन किया गया है और आवंटित राशि के कितने प्रतिशत का उपयोग कर लिया गया है; और
(ड) क्या सरकार रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के हितधारकों के साथ सहभागिता करती है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकलने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ड): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण अवधि प्रतिवर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सामान्य स्थिति के अनुसार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2017-18 के दौरान 6.0% से घटकर 2023-24 में 3.2 हो गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और ग्रामीण/शहरी-वार ब्यौरा पीएलएफएस रिपोर्टों में उपलब्ध है जिसे https://www.mospi.gov.in/download-reports?main_cat=ODU5&cat=All&sub_category=All पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

युवाओं सहित सभी की नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है और यह एक बहु-हितधारक पहल है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय आदि युवा सहित सभी के लिए विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे हैं। इन रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इन योजनाओं के बजटीय आवंटन तथा व्यय को https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/allsbe.pdf. में देखा जा सकता है।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए 5 योजनाओं और पहल संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की है। इसमें बजट 2024-25 में 1,07,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ घोषित की गई रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना शामिल है जिसका का उद्देश्य ईपीएफओ के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके रोजगार सृजन और कार्यबल को औपचारिक रूप प्रदान करना, नियोजनीयता में वृद्धि करना तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म **[www.ncs.gov.in]** के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों, रोजगार खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल / प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय करियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल के साथ पंजीकृत रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों के रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए टीएमआई ग्रुप, अमेज़ॅन सैल्र्स सर्विसेज, टीसीएस आईओएन, टाइम्स जॉब, क्वैस कॉर्पस लिमिटेड आदि सहित रोजगार पोर्टलों, कंपनियों तथा नियोक्ताओं के साथ सहयोग किया है।

*****